बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / BSP(H)CL–08 / 2019 / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन दीघा स्थित पटना सर्किल के सेंट्रल स्टोर के परिसर में 2 (दो) अदद् पुराने खपड़ैल भवनों को हेरिटेज एवं रेस्टुरेंट में परिवर्तित करने हेतु 2.54 करोड़ (दो करोड़ चौवन लाख) रूपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।**

आदेश–स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन दीघा स्थित पटना सर्किल के सेंट्रल स्टोर के परिसर में 2 (दो) अदद् पुराने खपड़ैल भवनों को हेरिटेज एवं रेस्टुरेंट में परिवर्तित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके लिए कुल अनुमानित लागत 2.54 करोड़ (दो करोड़ चौवन लाख) रूपये आकलित की गई है, जिसमें Civil के साथ–साथ Electrical मद के भी सभी कार्य सम्मिलित हैं।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन दीघा स्थित पटना सर्किल के सेंट्रल स्टोर के परिसर में 2 (दो) अदद् पुराने खपड़ैल भवनों को हेरिटेज एवं रेस्टुरेंट में परिवर्तित करने हेतु 2.54 करोड़ (दो करोड़ चौवन लाख) रूपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश उपशीर्ष–0111 बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड–10–4801051900111 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0046–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200046 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200046 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA274 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0 / BSP(H)CL–08 / 2019 के पृष्ठ संख्या–03 / टि0 पर दिनांक–01.08.2019 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0 / BSP(H)CL–08 / 2019 पृष्ठ संख्या–5 / टि0 पर दिनांक–06.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र० / BSP(H)CL–08 / 2019 / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र० / BSP(H)CL–08 / 2019 2196 / पटना, दिनांक– 16/08/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(8)